

FORM OF ORDER SHEET  
IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)  
Arbitration Case No.-17/2016

Pravish Pradhan.....Appellant

Versus

Union of India & Others.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	04.4.2026	<p>राज्य उपस्थित । Petitioner अनुपस्थित हैं ।</p> <p>Petitioner विगत 08 (आठ) तिथियों से सुनवाई में अनुपस्थित हैं । विपक्षी (DLAO) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा वाद में अभिरूचि नहीं ली जा रही है । तथा यह कि उनकी ओर से दाखिल जवाब के आलोक में यह Arbitration वाद खारिज करने योग्य है । उनकी ओर से दिनांक-19.2.2026 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में Arbitration वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है ।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया । दिनांक-19.2.2026 को पारित अंतरिम आदेश/वादी का इस वाद की कार्यवाही में अभिरूचि नहीं रहने के आलोक में इस Arbitration वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।</p> <p>आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय ।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धित । P.K. 04/4/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा -सह-Arbitrator</p>	



P.K.  
04/4/26  
आयुक्त,  
कोशी प्रमंडल, सहरसा  
-सह-Arbitrator